न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 46/2021
GCMS NO. : 2021/110

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. छोटूराम पुत्र लाबूराम 2. तेजाराम पुत्र लाबूराम जातियान– गुर्जर निवासी– केसरपुरा(रास) तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.)।		1. बालाराम पुत्र लाबूराम जाति– गुर्जर, निवासी– ढाणी केसरपुरा(रास) 2.तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.16.04.2021

उपस्थित:–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

–::निर्णय::–

दिनॉक:–21/02/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मोजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रास, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 2731 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2791 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा की आई हुई है। जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/3 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 वा हिस्सा है। इन्ही हिस्सो माफिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा है तथा माफिक बंटवाड़ा के अनुसार मौके पर प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से की भूमि में आवागमन के लिये सामलाती रास्ते भी छोड़े गये है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। इस वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित हिस्से अनुसार वादीगण [illegible] के मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति [illegible] बीच पिछले कई वर्षो पूर्व से बंटी हुई है। लेकिन भूमि [illegible] में इन्द्राज नहीं होकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में साम[illegible] उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से प्रतिव[illegible] संख्या 01 आये दिन इस भूमि के नाप चौंप सीमा व माठ को लेकर वादीगण से विवाद कर रहा है। जबकि वादीगण अपने हक हिस्से कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.06.14 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

एवं अपने हक हिस्से की की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहता है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 उसमें भी विवाद कर रहा है। इस वजह से वादीगण इस विवादित भूमि के बाबत प्रतिवादीगण से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडस के बंटवाड़ा करना चाह रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 इसमें सहमत नहीं हो रहा है तथा दिनांक 05.03.2021 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से कथन किया की इस भूमि के नाप चोप व रास्ता की भूमि को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गया है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण को ऐलानिया कथन किया कि वह इस भमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं करेगा। जबकि वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का वैधानिक अधिकारी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 उसमें सहमत नहीं हो रहा है। जिस पर वादीगण के पास इस हेतु यह वादपत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर पिछले कई वर्षो से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 आये दिन भूमि के नाप चौप एवं बंटवाड़ा को लेकर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहा है तथा दिनांक 05.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के हिस्से की भूमि में जाने वाले रास्ते को रोककर वादीगण को इस खातेदारी भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया धमकी भी दी है तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त भूमि से बेकाबिज कर देने बाबत ऐलानिया कथन भी किया है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से समझाईश की लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 के नहीं मानने से पक्षकारो के बीच भारी विवाद होकर मल्टीपीसीटी ऑफ प्रोसिडिंग होने का अंदेशा है। साथ ही यदि उक्त प्रतिवादी जबरदस्ती वादीगण की कब्जा सुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर नहीं है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 02 [illegible]धारी राजस्थान सरकारी प्रतिनिधि हैं जिनके विरुद्ध वादपत्र [illegible] वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादीगण का यह वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है दो माह की अवधि पूर्व होने तक प्रतिवादीगण [illegible]गण को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देगें व वादीगण के खेत में आवागमन का रास्ता भी पूर्ण रूप से बन्द कर देगें। तब ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिसपेंन्स विथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.06.14 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80 (2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 05.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण से इस विवादित भूमि की माठ व नाप चौप को लेकर विवाद करने एवं वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया कथन करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करते हुये वादीगण को इस विवादित भूमि से बेकाबिज करने एवं आवागमन का रास्ता अवरुद्ध करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम केसरपुरा (रास द्वितीय) तहसील– जैतारण जिला– पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या को बार बार आवाजें दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा०मि० है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी राजस्व मोजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रास, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2731 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2791 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मोजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रास, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 2731 रकबा 13–12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2791 रकबा 16–06 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 29–06 बीघा की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, [illegible] को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/968 दिनांक [illegible] आदेश किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2021/5249 [illegible] 09/12/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bi
Date: 2022.06.14 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

ी ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं
ालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय
जरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते
ं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रास, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 2731 रकबा 13–12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2791 रकबा 16–06 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म
1.	छोटूराम पुत्र लाबुराम जाति– गुर्जर सा0 देह खातेदार	2731/2	0.7338	बा0 दो0
		1291/2	0.8795	बा0 दो0
	योग	2	**1.6133**	
2.	तेजाराम प लाबूराम जाति– गूर्जर सा0 देह खातेदार	2731/1	0.7338	बा0 दो0
		2791/1	0.8795	बा0 दो0
	योग	2	**1.6133**	
3.	बालाराम पुत्र लाबूराम जाति– गूर्जर सा0 देह खातेदार	2731	0.7339	बा0 दो0
		2791	0.8795	बा0 दो0
	योग	2	**0.8218**	बा0 दो0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.06.14 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 21/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :-	बनाम	-:: प्रतिवादीगण :-
1. छेदूराम पुत्र लाबूराम 2. तेजाराम पुत्र लाबूराम जातियान- गुर्जर निवासी- केसरपुरा(रास) तहसील जैतारण, जिला-पाली (राज.)।		1. बालाराम पुत्र लाबूराम जाति- गुर्जर, निवासी- ढाणी केसरपुरा(रास) 2.तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 46/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मोजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रास, तहसील- जैतारण जिला- पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 2731 रकबा 13-12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2791 रकबा 16-06 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म
1.	छेदूराम पुत्र लाबुराम जाति- गुर्जर सा0 देह खातेदार	2731/2	0.7338	बा0 दो0
		1291/2	0.8795	बा0 दो0
	योग	2	1.6133	
2.	तेजाराम प लाबूराम जाति- गूर्जर सा0 देह खातेदार	2731/1	0.7338	बा0 दो0
		2791/1	0.8795	बा0 दो0
	योग	2	1.6133	
3.	बालाराम पुत्र लाबूराम जाति- गूर्जर सा0 देह खातेदार	2731	0.7339	बा0
		2791	0.8795	[illegible]
	योग	2	1.6134	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.06.14 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/02/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02-	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	06-	00	मिजानः–	–Nil–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.06.14 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested